Phone No. 2494027
Email estate@sgpgi.ac.in

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW 226 014

पत्रांक संख्या :पी0जी0आई0 / सम्पत्ति / एच–518 / 1453 / 2023 दिनांक 11 .12.2023

परिपत्र

विषयः रिक्त टाईप–2ए श्रेणी के आवास आवंटन का प्रस्ताव आवास सं0 04,05,06,10,11,12,19,27,36,40,41, 42,44,45,46,47,51,52,56,57,62,66,69,73,74,79,80,81,90,91,92,93,96,100,109,142,170,230,243,257

POSITION OF VACANT HOUSES			
UNRESERVE	OBC	SCHEDULED CASTE	ST
30	09	01	00

एतदद्वारा उपरोक्त रिक्त आवास वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किये जाने है। वर्ष 2023 में भवन आवंटन हेतु आवास नियमावली–2014 के अंतर्गत कार्यालय आदेश पीजीआई / सम्पत्ति / एच–505 / 1121 / 2023 दिनांक 14.06.2023 के माध्यम से वरिष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है। वर्ष 2023 की वरिष्ठता सूची दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक वैध है, में प्रतीक्षारत कर्मी की अपेक्षा रिक्त आवासों की संख्या अधिक है। अर्थात् आवंटित किये जाने योग्य कुल 40 रिक्त आवास के सापेक्ष मात्र 15 कर्मी ही आवासों हेतु प्रतीक्षारत है। उपरोक्त के क्रम में प्रस्तावित किया जाता है कि –

1. वर्ष 2023 की वरिष्ठता सूची में उल्लिखित अवशेष अधिकारियों / कर्मचारियों को आवास आवंटन में प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी।
2. द्वितीय वरीयता वर्ष 2023 की वरिष्ठता सूची में जो अधिकारी / कर्मचारी एवं नवनियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के नाम सम्मिलित नहीं है वह नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवास आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकते है। पूर्व में जो अधिकारी / कर्मचारी के अतिरिक्त नवनियुक्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा संस्थान में कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त आवास आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र सम्पत्ति विभाग में प्रस्तुत किया गया था उनको पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
3. अधिकारी / कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त विषयक में वर्णित आवासों का चयन कर आवास पर अपनी सहमति विलम्बतम दिनांक **21 .12.2023** तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहे। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

कृपया इस बात का ध्यान रखें कि एक ही आवास हेतु अधिक कर्मियों के आवेदन प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त बिन्दु सं0 01 को दृष्टिगत रखते हुये एवं वरिष्ठष्ता सूची अनुसार वरिष्ठ कर्मी को ही आवास आवंटित किया जायेगा। वरिष्ठ कर्मी के अनिच्छुक होने की दशा में बिना कोई पत्राचार किये उससे कनिष्ठ कर्मियों को भवन आवंटन किया जायेगा।

अग्रेतर यह भी अवगत कराया जाता है कि भवनों का आवंटन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार अनुमन्यता की सीमा तक ही भवन आवंटन किया जायेगा। साथ ही यदि भवन विशेष के आवंटन हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मियों द्वारा आवेदन किया जाता है उस दशा में वरिष्ठ कर्मी चाहे वह किसी भी श्रेणी का हों, वह भवन विशेष आवंटित किया जायेगा तथा इस संबंध में कनिष्ठ व अनिच्छुक कर्मियों से पत्राचार किये बिना कार्यवाही की जायेगी।

वरिष्ठता सूची संस्थान की वेबसाइट sgpgi.ac.in पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्नक है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों / नोडल अधिकारियों को ई–मेल / ई–आफिस के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत कराने की कृपा करें।
3. अधिशाषी अभियंता(सिविल) / अधिशाषी अभियंता(विद्युत)
4. समस्त नोटिस बोर्ड

सम्पत्ति अधिकारी